कार्यालय कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अर्जन कार्यालय, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर)
एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा

पत्रांक: 446 /आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ग्री0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर दिनांक 24 /08/2020

सार्वजनिक सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–23 के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के स्थापन हेतु चिन्हित ग्राम जेवर बांगर, परगना व तहसील जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर की 48.0970 हेक्टेयर भूमि का अधिनिर्णय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के अनुमोदन दिनांक 20.08.2020 के अनुक्रम में दिनांक 21.08.2020 को घोषित किया जा चुका है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु उक्त ग्राम में अर्जित भूमि के सापेक्ष हितबद्ध व्यक्ति/भू–स्वामी प्रतिकर की धनराशि कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) के एच–169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा–2, ग्रेटर नौएडा स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर आवश्यक वांछित अभिलेख (लेखपाल द्वारा सत्यापित फार्म सी0सी0, तहसीलदार द्वारा जारी हिस्सा प्रमाण पत्र, मालिकाना प्रमाण पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र, शपथ–पत्र, बंधक पत्र, पहचान पत्र, बैंक अंकाउट नम्बर बैंक द्वारा सत्यापित आदि) प्रस्तुत कर तथा समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए प्राप्त कर सकते है। यदि किसी भूस्वामी/हितबद्ध व्याक्ति द्वारा अधिनिर्णीत धनराशि प्राप्त नहीं की जाती है तो उसकी धनराशि को भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की सुसंगत धारा के अर्न्तगत सक्षम न्यायालय में जमा करा दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि घोषित अधिनिर्णय की सत्यापित छाया प्रतियां प्रस्तावित/प्रभावित ग्राम की ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में तथा जिला कलेक्टर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय जेवर में तथा भूमि अध्याप्ति कार्यालय में जनसामान्य के अवलोकन हेतु संचित हैं तथा घोषित अधिनिर्णय की एक प्रति जनपद गौतमबुद्धनगर की वेबसाईट *www.gbnagar.nic.in* पर बने ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर नामक पोर्टल/पेज पर भी उपलब्ध है।

कलेक्टर/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।